

27-01-18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

प्रकरण खात्मा के संबंध में साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित हुआ है कि पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री केशवसिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा अपने आदेश दि० 15.12.12 के माध्यम से प्रकरण में निरसन प्रतिवेदन (ई०आर०) की कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित आरक्षी केन्द्र को निर्देशित किया गया था, किन्तु उक्त आदेश दिनांक के उपरांत की कोई भी कार्यवाही उपरोक्त आदेशानुसार की गयी हो, ऐसा दर्शित नहीं हो रहा है।

इस प्रकार से प्रकरण में परिस्थिति व तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पुनः विचार कर खात्मा स्वीकार किए जाने का प्रभाव पुनर्विलोकन की श्रेणी में आएगा, जिसकी न्यायालय को अधिकारिता नहीं है।

अतः प्रस्तुत खात्मा प्रकरण विचारोपरांत निरसन प्रतिवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस लौटाया जावे। खात्मा प्रतिवेदन की छायाप्रति प्रकरण से संलग्न की जावे। मूल खात्मा प्रतिवेदन पर पृष्ठांकन किया जाए। खात्मा प्रतिवेदन तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर संचयन हेतु अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)